मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2016 (फाल्गुन 24, शक सम्वत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. विशेष उल्लेख

(1) सदन की बैठकों के समय में परिवर्तन विषयक

श्री उमाशंकर गु ता, उच्च शिक्षा मंत्री, द्वारा सदन का समय 10.30 के स्थान पर परिवर्तित कर 11.00 बजे से प्रारम्भ करने पर अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद दिया. माननीय अध्यक्ष महोदय ने धन्यवाद के लिये सभी का आभार व्यक्त किया.

(2) राष्ट्रकुल दिवस पर अध्यक्षीय संदेश

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया कि आज "राष्ट्रकुल दिवस" है. प्रतिवर्ष मार्च माह का यह दूसरा सोमवार राष्ट्रकुल देशों में "राष्ट्रकुल दिवस" के रूप में मनाया जाता है. यह दिवस राष्ट्रकुल के सदस्य देशों के बीच पारस्परिक सहभागिता, सदभाव, मैत्री और बंधुत्व की भावना का प्रतीक है. राष्ट्रकुल देशों की विधायिका भी राष्ट्रकुल संसदीय संघ के बैनर तले एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और लोकतंत्र के उन्नयन के लिए सतत् रूप से कार्य कर रही हैं. मध्यप्रदेश विधान सभा भी राष्ट्रकुल संसदीय संघ की सदस्य है एवं संसदीय कार्य पद्धति में नवाचारों, प्रयोगों तथा सुझावों के द्वारा महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रही है.

"राष्ट्रकुल दिवस" वर्ष 2016 की विषयवस्तु है. "समावेशी राष्ट्रकुल" समावेश राष्ट्रकुल के संगठन का परमावश्यक तत्व रहा है. स्वयं के संसाधनों, ज्ञान और अनुभव को परस्पर बांटने, आपस में विचार करके सहयोगात्मक प्रयास करने और मिलकर लक्ष्य तक पहुंचने की इच्छा से ही एक समावेशी, सौहार्दपूर्ण और प्रगतिशील समाज की नींव पड़ती है. संगठित प्रयास में वैयक्तिक योगदान जितना अधिक होगा, लाभप्राप्ति उतनी ही विस्तृत और बहुपक्षीय होगी.

हमारा देश प्रारंभ से ही समावेशी समाज रहा है. हमने अनेकता में एकता तथा वैविध्य में एकत्व को सदैव अपना जीवनसूत्र माना है और संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानते हुए यह कहा है कि :

"अयं निज: परोवेति गणना लघुचेतसाम।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।"

अर्थात "यह मेरा है, वह दूसरे का – ऐसा विचार तो लघु बुद्धि वाले किया करते हैं. उदारमना के लिए तो सम्पूर्ण पृथ्वी ही अपना परिवार है."

यह इस बात का प्रमाण है कि हमने अपनी प्रत्येक उपलब्धि में वसुंधरा के समस्त प्राणियों को संलग्न करने का प्रयास किया है.

आज राष्ट्रकुल ही नहीं, अपितु विश्व के समस्त देशों के बीच परस्पर संबंध, सौहार्द और संगठन रखना अत्यावश्यक है ताकि उभरते परिदृश्यों व चुनौतियों के बीच वे समवेत प्रयास करते हुए अपनी उपलब्धियों को साझा कर सकें. पृथ्वी तेजी से एक विश्वग्राम में कठिन है. लक्ष्य भी साझे हो रहे हैं और उपलब्धियां भी. ऐसे परिदृश्य में हमें राष्ट्रकुल तथा विश्वकुल के प्रत्येक सदस्य को अपना मानना होगा, उसकी चिंता अपनी चिंता समझनी होगी और उसके दुख व शोक को दूर करने के लिए मिलकर प्रयास करना होगा तभी हम "वसुधैव कुटुंबकम्" की परिकल्पना को साकार कर सकेंगे.

श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने उल्लेख किया कि हम उन देशों के सदस्य है जहां पहले अंग्रेजों का राज रहा और उन देशों की प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिये यहां से माननीय सदस्यगण उन देशों की यात्रा पर पहले जाते थे. परन्तु कुछ वर्षों वहां जाना बन्द हो गया है अत: अध्यक्ष जी से निवेदन है कि यह व्यवस्था पुन: चालू की जाये एवं कुंवर विजय शाह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री ने निवेदन किया कि माननीय विधायकों के साथ मंत्रियों को भी साथ में ले जाया जाये. तत्पश्चात् माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि माननीय गृह मंत्री जी का विचार और सुझाव समयोचित है इस पर जरूर विचार करेंगे.

3. दुर्घटनाओं संबंधी उल्लेख

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 11.3.2016 को सुश्री कुसुम सिंह महदेले, पशुपालन मंत्री के परिवार के सदस्यों की दुर्घटना में असामयिक मृत्यु होने, अशोक नगर में मुंगावली के पास डी.एस.पी. श्री पाठक, वाहन चालक और श्री अशोक, प्रधान आरक्षक की मौत होने एवं प्रदेश में ओला वृष्टि से पिछले दिनों मृत हुए लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की. श्री बाला बच्चन, उप नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय अध्यक्ष द्वारा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उल्लेखित मृत परिजनों की दुखद मृत्यु होने पर सदन की ओर से संवेदना व्यक्त की गई.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 13 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17 एवं 18) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 122 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 145 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. बहिर्गमन

श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य द्वारा स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की पूर्ति संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 9 (*क्रमांक 4732) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार –

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की इन्दौर उज्जैन संभाग में निजी कम्पनियों में कार्यरत सुरक्षा गार्डो का शोषण होने,
(2) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की सागर जिले में कपिलधारा योजना का लाभ न मिलने
(3) श्री घनश्याम पिरोनिया, सदस्य की भाण्डेर क्षेत्र के ग्राम आसेर से दबरी भाट तक सड़क निर्माण किये जाने,
(4) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य की रतलाम के लेवड़ से नयागांव आदि तक बायपास बनाये जाने,
(5) श्री दिनेश राय, सदस्य की सिवनी जिले में ग्रेनाईट पत्थर का अवैध उत्खनन होने,
(6) श्री अरूण भीमावद, सदस्य की शाजापुर, कामडी, बिजाना, चौमा मार्ग की हालत जर्जर होने,
(7) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इन्दौर सहित प्रदेश में वाहनों से प्रदूषण फैलने,
(8) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य की तलहन संघ के कर्मचारियों को समान पद पर संविलियन न किये जाने,
(9) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की भोपाल के जंहागीराबाद क्षेत्र में दिनांक 19.4.2015 को हुए जानलेवा हमले का चालान पेश न किये जाने,
(10) श्री के.के. श्रीवास्तव, सदस्य की टीकमगढ़ के ग्राम बम्होरी (मड़िया) से जुड़ावन तक का मार्ग जीर्ण शीर्ण होने,

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

5. शून्यकाल में उल्लेख एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

(1) प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की जाना

(1) श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा यह उल्लेख किया कि – प्रदेश के पंचायत सचिव, मनरेगा के कर्मचारी, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी सभी सामूहिक रूप से हड़ताल पर हैं. जिससे पूरे प्रदेश में रोजगार के काम बाधित हो रहे हैं, सदन चल रहा है, हमने इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव दिया है. इसे चर्चा में ले लें.

(2) रीवा जिले में ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि पर चर्चा की मांग की जाना

(2) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य द्वारा यह उल्लेख किया कि – रीवा जिले में 13.3.2016 को रीवा जिले में एवं मऊगंज भयानक बारिश और ओले पड़े हैं.

श्री रामनिवास रावत, सदस्य एवं श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष द्वारा अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया गया कि ओलावृष्टि पर चर्चा ध्यानाकर्षण के माध्यम से न कराकर, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से या नियम 139 के तहत चर्चा स्वीकार कर लें तो सभी सदस्यों की बात आ जाएगी. ध्यानाकर्षण के माध्यम से सारी बातें नहीं आ पाएंगी और यह पूरे प्रदेश के किसानों के साथ अन्याय होगा.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि – "विषय की गंभीरता को देखते हुए ही ध्यानाकर्षण लिया गया है. ध्यानाकर्षण भी बहुत गंभीर और तात्कालिक विषयों में ही लिया जाता है और इसलिए इसको लिया है. इससे सब माननीय सदस्यों की बात भी आ जाएगी और अपने क्षेत्र से संबंधित यदि कोई विशिष्ट प्रश्न होगा जो कि अन्य नियमों में नहीं आ पाता, उसमें सीधे प्रश्न नहीं हो पाता, इसमें वह भी हो जाएगा, माननीय सदस्य अपने क्षेत्र से संबंधित यदि कोई स्पेसिफिक बात है तो उसको भी वह बता सकेंगे, इसलिए यह भी महत्वपूण है. दूसरी बात यह है कि राजस्व विभाग की मांग अभी आना बाकी हैं. उसमें भी सभी विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, और आपको भी यह जानकारी है कि सामान्यत: बजट के समय स्थगन प्रस्ताव नहीं लिये जाते हैं. खासकर चूंकि अभी विभाग की मांगे आना ही हैं, इसलिए उस समय चर्चा हो ही जायेगी."

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 40 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2014-15 पटल पर रखे.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-102-2011-अ-ग्यारह, दिनांक 4 जून, 2015 पटल पर रखी.

(3) श्री राजेन्द्र शुक्ल, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 33 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 पटल पर रखा.

7. ध्यान आकर्षण

(1) श्री संदीप जायसवाल, सदस्य ने कटनी नगर निगम सीमा अंतर्गत कालोनियों के नियमितीकरण में विसंगति होने की ओर नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री, नगरीय विकास एवं पर्यावरण ने इस पर वक्तव्य दिया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों के लिये भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

(2) सर्वश्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, रामनिवास रावत, निशंक कुमार जैन, डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सुन्दरलाल तिवारी, नथनशाह कवरेती, गोवर्धन उपाध्याय, कुंवर सौरभ सिंह, श्रीमती चन्दा सिंह गौर, सर्वश्री हरदीप सिंह डंग, जसवंत सिंह हाड़ा, चौधरी चन्द्रभान सिंह, श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री शंकरलाल तिवारी, के.के. श्रीवास्तव, नीलेश अवस्थी, इंजी. प्रदीप लारिया, चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, श्री प्रताप सिंह, श्रीमती ममता मीना, सर्वश्री मानवेन्द्र सिंह, लाखन सिंह यादव, प्रहलाद भारती, सूबेदार सिंह रजौधा, भारत सिंह कुशवाह, सुखेन्द्र सिंह बना, श्रीमती इमरती देवी, श्रीमती अनीता नायक, श्रीमती रेखा यादव, श्रीमती ललिता यादव, श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, श्रीमती सरस्वती सिंह, सर्वश्री जतन उइके, फुन्देलाल सिंह मार्को, संदीप जायसवाल, डॉ. कैलाश जाटव, सर्वश्री हरवंश राठौर, शैलेन्द्र पटेल, घनश्याम पिरोनिया, कमलेश्वर पटेल, सदस्यगण ने प्रदेश के अनेक जिलों में ओला एवं अतिवृष्टि से फसलें नष्ट होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य एवं माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर दिये.

8. बहिर्गमन

श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा प्रदेश के अनेक जिलों में ओला एवं अतिवृष्टि से फसलें नष्ट होने संबंधी ध्यानाकर्षण पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

9. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 110-परसवाड़ा से निर्वाचित सदस्य, श्री मधु भगत को विधान सभा के फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई.

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं:-

(1) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(2) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)
(3) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(4) श्री अशोक रोहाणी (जिला-जबलपुर)
(5) श्री कुँवर जी कोठार(जिला-राजगढ़)
(6) श्री वीर सिंह पंवार (जिला-विदिशा)
(7) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(8) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(9) श्री गोवर्धन उपाध्याय (जिला-विदिशा)
(10) श्री आर.डी.प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(11) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(12) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(13) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
(14) श्री चम्पालाल देवड़ा (जिला-देवास)
(15) श्री कालूसिंह ठाकुर (जिला-धार)
(16) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(17) श्री सचिन यादव (जिला-खरगोन)
(18) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
(19) पं. रमाकान्त तिवारी (जिला-रीवा)
(20) श्री विजय सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(21) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया(जिला-मन्दसौर)
(22) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
(23) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(24) कुँवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(25) श्री निशंक कुमार जैन (जिला-विदिशा)
(26) श्रीमती शीला त्यागी (जिला-रीवा)

(27) श्रीमती रंजना बघेल (जिला-धार)
(28) श्री महेश राय (जिला-सागर)
(29) श्रीमती उमा देवी खटीक (जिला-दमोह)
(30) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदू भैया) (जिला-जबलपुर)
(31) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
(32) श्री अरूण भीमावद (जिला-शाजापुर)
(33) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(34) श्री केदारनाथ शुक्ल (जिला-सीधी)
(35) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
(36) श्रीमती ऊषा चौधरी (जिला-सतना)
(37) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(38) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
(39) श्री अनिल जैन (जिला-टीकमगढ़)
(40) श्रीमती झूमा सोलंकी (जिला-खरगोन)
(41) श्री देवेन्द्र वर्मा (जिला-खण्डवा)
(42) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(43) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(44) श्री पन्नालाल शाक्य (जिला-गुना)
(45) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(46) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी) (जिला-शहडोल)

11. अध्यक्षीय घोषणा
माननीय सदस्यों से आनलाईन प्रश्न प्राप्त किए जाने विषयक

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा ऑनलाईन प्रश्न प्रबंधन प्रक्रिया के अंतर्गत माननीय सदस्यों से ऑनलाईन प्रश्न प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया लागू किया जाना प्रस्तावित है.

माननीय सदस्यों को उक्त प्रक्रिया से अवगत कराये जाने के लिये दिनांक 10 मार्च, 2016 से प्रतिदिन विधान सभा भवन स्थित कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (कक्ष क्रमांक-319) में प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रारंभ की गई है जिसके अंतर्गत माननीय सदस्य अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाईन प्रश्न प्रेषण का प्रशिक्षण, उपयोगिता एवं अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

प्रशिक्षण के दौरान माननीय सदस्य अपने ई-मेल एड्रेस एक्टिवेशन तथा ई-विधान एप अपने मोबाईल पर डाउनलोड करवाने का कार्य भी करवा सकते हैं.

अत: माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अधिकाधिक संख्या में प्रशिक्षण सुविधा का लाभ प्राप्त करने का कष्ट करें.

12. वर्ष 2015-16 की चतुर्थ अनुपूरक मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अत: वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाएं, तद्नुसार, श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि -

"दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 11, 12, 17, 25, 28, 29, 58, 66 तथा 75 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर एक हजार तीन सौ बत्तीस करोड़, छियालीस लाख, पंचानबे हजार, नौ सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाए."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह

सभापति महोदय (डॉ. गोविन्द सिंह) पीठासीन हुए.

(2) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(3) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(4) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(5) श्री सुन्दरलाल तिवारी
(6) श्री दिलीप सिंह परिहार

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(7) श्री कमलेश्वर पटेल
(8) श्री वेलसिंह भूरिया
(9) श्री शैलेन्द्र पटेल

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2016 (क्रमांक 1 सन् 2016)

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2016 (क्रमांक 1 सन् 2016) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2016 (क्रमांक 1 सन् 2016) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

14. वर्ष 2016-17 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

(11) श्री दीपक कैलाश जोशी, राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 27 स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) के लिए सात हजार सात सौ उनचास करोड़, नवासी लाख, अट्ठाईस हजार रूपये, तथा

अनुदान संख्या – 40 स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) के लिए दो हजार एक सौ बनावे करोड़, सैंतीस लाख, इक्यासी हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री कमलेश्वर पटेल
(2) श्री हेमन्त खण्डेलवाल

सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ल) पीठासीन हुए.

(3) श्री शैलेन्द्र पटेल
(4) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(5) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(6) श्री बहादुर सिंह चौहान
(7) श्रीमती शीला त्यागी
(8) श्री सुन्दरलाल तिवारी
(9) श्री वीर सिंह पंवार
(10) श्री सचिन यादव

सभापति महोदय (श्री ओमप्रकाश सखलेचा) पीठासीन हुए.

(11) श्री सुदर्शन गुप्ता
(12) श्री हरदीप सिंह डंग

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(13) श्री के.के. श्रीवास्तव
(14) श्री सुखेन्द्र सिंह
(15) श्री इन्दर सिंह परमार
(16) सुश्री ऊषा ठाकुर
(17) श्रीमती झूमा सोलंकी
(18) कुंवर हजारीलाल दांगी
(19) श्रीमती ऊषा चौधरी
(20) श्रीमती सरस्वती सिंह
(21) श्री विष्णु खत्री
(22) श्रीमती ममता मीना
(23) श्री अमर सिंह यादव
(24) डॉ. कैलाश जाटव
(25) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(26) श्री गिरीश भण्डारी
(27) श्री नारायण सिंह पवार
(28) श्री रामलल्लू वैश्य
(29) चौधरी चन्द्रभान सिंह
(30) श्री जसवंत सिंह हाड़ा
(31) डॉ. रामकिशोर दोगने

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि माननीय सदस्यों के लिये सदन की लॉबी में स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करने का कष्ट करें.

15. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची के पद 8 (2) का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए. सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

16. वर्ष 2016-17 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

श्री दीपक कैलाश जोशी, राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(12) श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 12 ऊर्जा के लिए सोलह हजार एक सौ इक्यानवे करोड़, सैंतालीस लाख, पैसठ हजार रूपये,

अनुदान संख्या – 25 खनिज साधन के लिए सैंतीस करोड़, इकहत्तर लाख, नब्बे हजार रुपये,

अनुदान संख्या – 32 जनसम्पर्क के लिए दो सौ इकतालीस करोड़, बयासी लाख, चवालीस हजार रूपये, तथा

अनुदान संख्या – 76 नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के लिए एक सौ चौरासी करोड़, साठ हजार रूपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री जितू पटवारी
(2) श्री ओमप्रकाश सखलेचा

सभापति महोदय (श्री ओमप्रकाश सखलेचा) पीठासीन हुए.

(3) डॉ. गोविन्द सिंह
(4) श्री बहादुर सिंह चौहान
(5) श्रीमती ऊषा चौधरी
(6) श्री दुर्गालाल विजय

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(7) श्री सचिन यादव
(8) श्री दिलीप सिंह शेखावत
(9) श्री जसवंत सिंह हाड़ा
(10) श्री सुखेन्द्र सिंह
(11) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
(12) श्री शैलेन्द्र पटेल

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अपराह्न 10.19 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2016 (25 फाल्गुन, शक सम्वत् 1937) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 14 मार्च, 2016